प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. **जिलाः**–ए.सी.बी. चौकी कोटा **थाना**.... प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर
प्र0सू0रि0संख्या ....130/2023 **दिनांक**.....27/5/2023
2. **(1) अधिनियम–भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 धारायें –7,**
(2) अधिनियम–
....**धारा –**
(3) अधिनियम..**धारायें –**..
(4) अन्य अधिनियम धारायें..
3. **(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या**.............528.......**समय**.....3:15 PM.........
(ब) अपराध घटने का दिन ... गुरूवार ....दिनांक....25.05.2023 ...समय 05.46 पी.एम.
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक... 15.11.2022 समय 01.50 पी.एम.
4. **सूचना की किस्म लिखित/ मौखिक – हस्तलिखित** रिपोर्ट
5. **घटना स्थलः– प्लेटफार्म नम्बर 01 रेल्वे स्टेशन कोटा जंक्शन कोटा**
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः–बजानिब उत्तर–पूर्व व 04 कि.मी.
(ब) 'पताः– प्लेटफार्म नम्बर 01 रेल्वे स्टेशन कोटा जंक्शन।
जरायम देही संख्या......................
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना – पुलिस थाना जीआरपी कोटा राजस्थान
6. **परिवादी/सूचनाकर्ता :–**
(अ) नामः– श्री आशीष सैनी
(ब) पिता का नाम – श्री रामरतन
(स) जन्म तिथी/वर्ष........ उम्र 32 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता.– भारतीय
(य) पासपोर्ट संख्या..**जारी होने की तिथी**................
जारी होने की जगह..
(र) व्यवसाय–व्यवसाय
(ल) पता – निवासी मकान नम्बर 705 गणेश नगर पुलिस थाना आर के पुरम् कोटा
7. **ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्योरा सम्पूर्ण विशिष्ठियों सहित :–**

(1) श्रीमती रेखा सिंह, हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना मानसरोवर पार्क जिला शाहदरा दिल्ली।

8. **परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने मे विलम्ब का कारणः–**.............................. शून्य..
9. **चुराई हुई लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये).**
10. **चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तियों का कुल मूल्य**.....20000/– रूपये..
11. **पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)**..
12. **विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्नालगायें) :–**

श्रीमान प्रकरण के हालात इस प्रकार हैं कि दिनांक 15.11.2022 समय 01:50 पी एम इस समय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी कोटा श्री विजय स्वर्णकार को परिवादी श्री आशीष सैनी पुत्र श्री रामरतन जाति माली उम्र 32 साल निवासी मकान नम्बर 705 गणेश नगर कोटा मोबाईल नम्बर 9680989956 ने कार्यालय में उपस्थित होकर एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि " निवेदन है कि कोटा शहर का निवासी हुं। मुझ पर मेरी पत्नी श्रीमती सविता शर्मा ने पुलिस थाना मानसरोवर पार्क में मुकदमा नम्बर 0458/2022 धारा 498(ए), 406,34 आईपीसी दिनांक 10.09.2022 में एक झूठा मुकदमा दर्ज करवाया था। उस मुकदमें में श्रीमती रेखा सिंह ने मुझे फोन करके दिल्ली बुलाया था । मैं एवं मेरे मामा का लडका अभिषेक सुमन दिल्ली मानसरोवर पार्क थाने में रेखा सिंह और उनके साथी जिनका मै नाम नहीं जानता, मुझे मिले थे, जिन्होने रेखा सिहं के साथ मुझ पर 50,000/–रूपये रिश्वत में देने का दबाव बनाया । मेरे व मेरे मामा के लडके से मोबाईल फोन ले लिये थे। मैनें पैसे लाने का दबाब बनाया। मैं और अभिषेक मानसरोवर पार्क थाने से करीब 4 किमी जाकर एटीएम से 15,000/–निकालकर थाने पंहुचे, मैने 14,000/–रूपये रेखा सिहं व उनके साथी पुलिस कर्मी को दिये, जिस पर उन्होने मुझे बकाया 36,000/–रिश्वत राशि अपने कोटा आने पर लेने की बात कहीं है। मैं रेखा सिहं और उनके साथी पुलिसकर्मी को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं। मेरी उनसे कोई पुरानी रंजिश व लेन–देन बकाया नहीं है। मैं रेखा सिहं व उनके साथी

पुलिसकर्मी को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुये पकडवाना चाहता हूं। ''परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र व मजीद दरयाप्त से मामला रिश्वत मांग का होने एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधी में आना पाया जाने से श्री विजय स्वर्णकार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने समय 03.02 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक चन्द्रकंवर को अपने कक्ष में बुलाया, जहां पूर्व से उपस्थित एक व्यक्ति से मेरा परिचय कराते हुये उनको परिवादी श्री आशीष सैनी बताया व उक्त परिवादी से श्रीमती रेखा सिहं सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना मानसरोवर पार्क शाहदरा दिल्ली द्वारा, परिवादी के विरूद्व दर्ज मुकदमा 458/2022 धारा 498(ए), 406,34 आईपीसी में रिश्वत की मांग करना बताया। परिवादी द्वारा दिनांक 15.11.2022 को पेश शुदा हस्तलिखित प्रार्थना पत्र सुपुर्द कर अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक, परिवादी श्री आशीष सैनी के अपने कक्ष मे लेकर आई। प्रार्थना पत्र के अवलोकन एवं मजीद् दरियाफ्त पर परिवादी ने बताया कि मुझ पर मेरी पत्नी श्रीमती सविता शर्मा ने पुलिस थाना मानसरोवर पार्क में एक झूठा मुकदमा 458/2022 धारा 498(ए), 406,34 आईपीसी दिनांक 10.09.2022 में दर्ज करवाया था। उस मुकदमें में श्रीमती रेखा सिंह ने मुझे फोन करके दिल्ली बुलाया था। मैं एवं मेरे मामा का लडका अभिषेक सुमन दिल्ली मानसरोवर पार्क थाने में रेखा सिंह से मिले थे, तो रेखा सिहं ने केस को कमजोर करने एवं मेरे माता –पिता एवं परिवार के अन्य सदस्यों के नाम केस से निकालने के लिये मुझ पर 50,000/–रूपये रिश्वत में देने का दबाव बनाया। मैने उस दिन एटीएम से निकालकर 14,000/– रूपये रेखा सिहं को दे दिये थे तथा शेष 36,000/–रिश्वत राशि लेने हेतु रेखा सिहं द्वारा स्वंय के कोटा आने पर लेने की बात कहीं जो कुछ दिनों में कोटा आएगी। परिवादी के बताये अनुसार आरोपिया के कोटा आने पर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। परिवादी को आरोपिया के कोटा आने पर सूचित करने की हिदायत कर रूखसत किया गया।

दिनांक 25.11.2022 समय 11.00 ए.एम. पर परिवादी का कॉल मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर कॉल आया तो परिवादी ने बताया कि अभी आरोपिया श्रीमती रेखा सिंह का फोन मेरे पास नहीं आया है उसका फोन आने या उसके कोटा आने पर मैं आपको सूचित कर दूंगा।

दिनांक 17.01.2023 समय 06.03 पी.एम.पर परिवादी का कॉल मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर कॉल आया तो परिवादी ने बताया कि अभी आरोपिया श्रीमती रेखा सिंह का फोन मेरे पास नहीं आया है उसका फोन आने या उसके कोटा आने पर मैं आपको सूचित कर दूंगा।

दिनांक 25.05.2023 समय 08.19 ए.एम.पर परिवादी श्री आशीष सैनी का कॉल मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर आया, परिवादी ने बताया कि आरोपिया बिना बताये मेरे घर पर कोटा आ गयी है। जैसी भी बात होगी मैं आपको फोन करके बता दूंगा। इस पर परिवादी को हिदायत की कि यदि आरोपिया आपसे रिश्वत की मांग करे तो तुरन्त मन् पुलिस निरीक्षक को सूचित कर एसीबी ऑफिस आ जाये। समय करीब 12.30 पी.एम.पर परिवादी श्री आशीष सैनी कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चौकी कोटा उपस्थित आया। परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि आरोपिया अभी मेरे घर पर ही रूकी हुई है आरोपिया के साथ एक अन्य पुलिस वाला भी आया था जिसे छोडने के लिये में कोटा जंक्शन छोडने आया हूं उक्त पुलिस वाले को स्टेशन छोडकर मैं आपके कार्यालय आया हूं । वह पुलिस वाला साथ होने के कारण आरोपिया ने अभी तक मुझसे रिश्वत के संबंध में वार्ता नहीं की है वो अब मुझसे रिश्वत राशि के संबंध में बात करेगी। इस पर मालखाने से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के निकलवाया जाकर परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को बन्द व चालू करने की विधी समझायी गई। परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के सुपूर्द कर हिदायत कि गई कि आरोपिया से होने वाली रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड करे। परिवादी को आरोपिया से बात करने परिवादी के घर गणेश नगर कोटा रवाना किया गया तथा परिवादी की निगरानी हेतु श्री योगेन्द्र सिंह कानि0 282 को निगरानी हेतु परिवादी के हमराह मोटर साईकिल से रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय करीब 01.20 पी.एम.पर आरोपिया श्रीमती रेखा सिंह के कोटा आने एवं परिवादी के घर पर होने एवं ट्रेप कार्यवाही की संभावना होने के कारण श्री लालचन्द कानि0 30 को उप वन संरक्षक कोटा के नाम एक तहरीर पत्रांक 156 दिनांक 25.05.2023 दी जाकर गोपनीय कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह लाने हेतु उप वन संरक्षक कोटा रवाना किया गया। जो समय करीब 02.25 पी.एम पर गोपनीय कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह 1. श्री निरंजन सुमन पुत्र स्व. श्री राम प्रसाद सुमन जाति माली उम्र 24 साल निवासी ग्राम मण्डावरा तहसील दीगोद जिला कोटा हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप वन सरंक्षक कोटा 2. श्री कैलाश सुमन पुत्र स्व. श्री मदन लाल माली जाति माली उम्र 24 साल निवास राम द्वारा के पास चेचट थाना चेचट जिला कोटा हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप वन संरक्षक

जिला कोटा को हमराह लेकर उपस्थित आया । मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहाने को अपना परिचय देकर की जाने ट्रेप कार्यवाही के संबध में अवगत कराया। समय 03.15 पी.एम. पर श्रीमती अनिता वर्मा पुलिस निरीक्षक, श्री बबलेश कुमार कानि. 261 एवं श्री अब्दुल सत्तार कानि.158 कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसयू) कोटा से उपस्थित कार्यालय हाजा आये। समय करीब 03.25 पी.एम.पर परिवादी श्री आशीष सैनी मय श्री योगेन्द्र सिहं कानि0 182 के कार्यालय हाजा उपस्थित आया। परिवादी ने बताया कि आरोपिया मेरे घर पर ही है, मैं आपके कार्यालय से डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर लेकर अपने घर पंहुचा तो श्रीमती रेखा सिंह सो रही थी उन्होने नींद से उठने के बाद में मुझसे कहा है कि मैं शाम 05.55 पी.एम. वाली ट्रेन से दिल्ली जाउंगी, मै पैसों के बारे में उसी समय बता दूंगी। श्रीमती रेखा सिंह ने मुझसे रिश्वत के संबंध में स्पष्ट वार्ता नहीं की है, उसने मुझसे कहा है कि तुम मेरे साथ स्टेशन पर चलो मैं वहीं तुमको पेसों के बारे मे बता दूंगी अभी इस संबंध में मुझे कोई बात नहीं करनी है। मैं उनकी उक्त वार्ता को डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड नहीं कर सका । परिवादी को हिदायत की कि वह जब आरोपिया को दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठाने के लिये स्टेशन पर आओ तो मन् पुलिस निरीक्षक को फोन करके सूचित कर देना एवं आरोपिया से होने वाली रिश्वत मांग संबधी वार्ता को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड करे। चुंकि परिवादी ने बताया है कि आरोपिया उससे रिश्वत राशि के संबंध स्टेशन पर वार्ता कर, रिश्वत राशि प्राप्त करने के बारे में बताया है। श्री योगेन्द्र सिंह कानि0 282 को परिवादी की निगरानी हेतु परिवादी के हमराह रहने की हिदायत की गई। समय करीब 03.40 पी.एम.पर परिवादी श्री आशीष सैनी का कॉल मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर आया परिवादी ने बताया कि मै एवं आरोपिया श्रीमती रेखा सिंह अभी कुछ देर में मेरे घर से रेलवे स्टेशन कोटा जंक्शन के लिये रवाना हो रहे है, आरोपिया वहीं मुझसे रिश्वत राशि की मांग कर रिश्वत राशि ग्रहण करेगी। आप मुझे कोटा जंक्शन पर वीआईपी गेट के आस–पास मिल जाना। समय करीब 04.19 पी.एम. परिवादी श्री आशीष सैनी का मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर व्हाट्स एप कॉल आया परिवादी ने बताया कि मै एवं श्रीमती रेखा सिंह मेरे घर से रवाना होकर रेलवे स्टेशन कोटा जंक्शन आ गये हैं श्रीमती रेखा सिंह ने रास्ते में जब हम स्कूटी से आ रहे थे, तो श्रीमती रेखा सिंह ने मुझे चलती स्कूटी पर मेरे माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्यों के नाम केस से निकालने के लिये के लिये मुझसे 20,000/–रूपये की मांग की हैं स्कूटी पर होने के कारण डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू नहीं कर सका, वह मुझसे रेलवे स्टेशन पर ही रिश्वत राशि ग्रहण करेगी। आप रेलवे स्टेशन कोटा आ जाओ मैं आपको वीआईपी गेट के पास स्थित भारतीय स्टेट बैक के ए.टी.एम. पर मिल जाउंगा। परिवादी को हिदायत की गई कि मेरे एवं ट्रेप पार्टी आपके पास आने बाद ही पुनः रिश्वत मांग संबंधी वार्ता करें, जिससे ट्रेप की अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जा सके। समय करीब 05.05 पी.एम. आरोपिया श्रीमती रेखा सिहं द्वारा परिवादी से रेलवे स्टेशन पर तुरंत ही रिश्वत की मांग कर रिश्वत राशि ग्रहण करने की संभावना होने के कारण मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री अब्दुल सत्तार कानि0 158 से मालखाने से फिनोफ्थलिन पाउडर की शीशी निकलावाई जाकर प्राईवेट वाहन के डेश बोर्ड मे रखवाई जाकर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाह श्री निरंजन सुमन कनिष्ठ सहायक एवं श्री कैलाश सुमन कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप वन संरक्षक जिला कोटा मय एसीबी जाप्ता श्री ताराचन्द पुलिस निरीक्षक, श्रीमती अनिता वर्मा पुलिस निरीक्षक, श्री देवेन्द्र सिंह कानि. 304, श्री बृजराज सिंह कानि0159, श्री बबलेश कुमार कानि. 261 एवं श्री अब्दुल सत्तार कानि.158 मय ट्रेप बॉक्स, तीन लेपटॉप, वायर लेस प्रिन्टर एवं अन्य ट्रेप सामग्री के दो प्राईवेट वाहनो से वीआईपी गेट रेल्वे स्टेशन कोटा जंक्शन के लिये रवाना हुयी। परिवादी के व्हाट्स एप कॉल कर हिदायत दी कि वह थोडी देर बाद वीआईपी गेट के पास स्थित एसबीआई बैंक के एटीएम के पास मिले। समय करीब 05.15 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान् एवं एसीबी जाप्ते के दो प्राईवेट वाहनों से वीआईपी गेट रेल्वे स्टेशन कोटा जंक्शन के पास स्थित एसबीआई बैंक के एटीएम के पास पंहुची, जहां परिवादी श्री आशीष सैनी एवं श्री योगेन्द्र सिंह कानि0 उपस्थित मिले। परिवादी ने बताया कि श्रीमती रेखा सिंह अभी रेल्वे स्टेशन के प्लेटफार्म नम्बर 01 पर ही बैठी है, मैं बॉशरूम जाने की कह कर बाहर आया हूं, जब हम मेरे घर से स्टेशन के लिये आ रहे थे तो आरोपिया ने मुझसे 20,000/–हजार रूपये अभी एटीएम से निकालकर देने के लिये कहा हम दोनों स्कुटी पर होने के कारण मैं डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को चालु नहीं कर सका। इस पर परिवादी से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालु करवाया जाकर परिवादी का आरोपिया से रिश्वत मांग गोपनीय सत्यापन हेतु आरोपिया के पास रेल्वे स्टेशन कोटा जंक्शन के प्लेटफार्म नम्बर 01 के लिये रवाना किया गया। श्री योगेन्द्र सिहं कानि0.282 को परिवादी की निगरानी हेतु परिवादी के साथ ही प्लेटफार्म नम्बर 01 के लिये रवाना किया। मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के रेल्वे आरक्षण कार्यालय के पास ही प्राईवेट वाहनों में परिवादी के आने की प्रतीक्षा

में मुकीम हुई। समय करीब 05.28 पी.एम.पर परिवादी श्री आशीष सैनी मय श्री योगेन्द्र सिंह कानि0 282 के वीआईपी गेट के पास मन् पुलिस निरीक्षक के पास आया डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर बन्द हालत में पेश कर बताया कि मेरी, आरोपिया श्री रेखा सिंह से मेरे काम एवं 20,000/–रूपये रिश्वत राशि के संबंध में वार्ता हो गई। उन्होनें मुझसे 20,000/–रूपये लेकर अभी बुलाया है, मैं एटीएम से राशि निकाल कर लाने एवं आस पास के एटीएम खराब होने की बात कह कर आया हूं। मेरी एवं आरोपिया के मध्य हुई सभी वार्ता डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड हो गई है। मैंने बाहर आकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर बन्द कर लिया था। परिवादी ने बताया कि आरोपिया की ट्रेन आने वाली है वह कभी भी ट्रेन में बैठकर दिल्ली के लिये रवाना हो सकती है। चुंकि परिवादी ने बताया है कि आरोपिया कुछ समय में ही ट्रेन से दिल्ली के लिये रवाना होने वाली है इसलिये परिवादी का परिचय उपस्थित स्वतंत्र गवाहान् श्री निरंजन सुमन कनिष्ठ सहायक एवं श्री कैलाश सुमन कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप वन संरक्षक जिला कोटा करवाया जाकर स्वतंत्र गवाहान् से कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही तो दोनों ने मौखिक सहमति देकर परिवादी के प्रार्थना पत्र पर अपने–अपने हस्ताक्षर किये। स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री आशीष सैनी पुत्र श्री रामरतन जाति माली उम्र 31 साल निवासी 705, गणेश नगर कोटा थाना आर.के. पुरम जिला कोटा ने अपने पास से निकालकर भारतीय मुद्रा के 500–500 रूपये के 40 नोट कुल राशि बीस हजार रूपये मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किये, जिनके नम्बर निम्न प्रकार है :–

क्0स0	नोटों का प्रकार	नोटों के नम्बर
1.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	7 MA 558046
2.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	5 ES 493848
3.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	0 NF 227207
4.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	9 FF 043129
5.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	2 KC 358686
6.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	0 FC 918292
7.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	2 UR 926105
8.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	5 GA 475674
9.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	7 VF 156040
10.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	5 KN 496950
11.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	5 HS 217543
12.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	0 KF 727091
13.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	0 EH 871098
14.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	7 SA 569314
15.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	7 SA 619713
16.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	7 ES 199426
17.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	7 KF 927339
18.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	0 LW 910586
19.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	8 ET 115841
20.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	6 BC 205552
21.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	5 AF 040353
22.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	4 FE 500731
23.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	2 WN 402396
24.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	0 EH 461745
25.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	3 QS 216443
26.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	7 MR 059593
27.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	5 MS 490531
28.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	8 DE 946359
29.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	0 DP 619242
30.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	8 NV 742593
31.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	1 MR 737763

32.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	5 MW 811323
33.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	4 FH 573793
34.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	9 TN 363628
35.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	5 PL 679822
36.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	5 PM 103714
37.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	0 UB 496992
38.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	5 QH 885994
39.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	0 NF 843801
40.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	8 GH 961036

श्री अब्दुल सत्तार कानि. 158 से प्राईवेट वाहन के डेशबोर्ड से फिनोंफ्थलीन पावडर की शीशी निकलवाकर परिवादी द्वारा पेश नोटों को एक अखबार के ऊपर रखकर उन पर सावधानी पूर्वक फिनोफथलीन पावडर लगवाया गया ताकि पावडर की उपस्थिति प्रभावी किन्तु अदृश्य रहे। परिवादी श्री आशीष सैनी की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री निरंजन सुमन से लिवाई गई। परिवादी श्री आशीष सैनी के पास उसके पहने हुए वस्त्रों एवं मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। रिश्वत में दिये जाने वाले फिनोंफ्थलीन पाउडर लगे हुये नोट रिश्वती राशि बीस हजार रूपये को परिवादी के पहने हुई जींस के पेन्ट की सामने की बांयी जेब में श्री अब्दुल सत्तार कानि. से रखवाये गये। इसके बाद एक काँच के गिलास में गाडी में रखे पानी के केम्पर से साफ पानी लेकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पावडर डालकर घोल तैयार करवाया गया, तो घोल का रंग रंगहीन रहा। उक्त रंगहीन घोल में श्री अब्दुल सत्तार कानि. के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डालकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रक्रिया व दृष्टांत को गवाहान् एवम् परिवादी को समझाया गया कि संदिग्ध व्यक्ति इन नोंटों को अपने हाथ से ग्रहण करेगा या छुयेगा तो उसके हाथ सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। जिस अखबार पर रखकर रिश्वत में दी जानेवाली राशि/नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था उस अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया व घोल को बाहर फिंकवाया गया। परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के सुपुर्द किया जाकर हिदायत की गई कि आरोपिया से वक्त रिश्वत लेन–देन होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करें एवं रिश्वत राशि को अनावश्यक रूप से हाथ नहीं लगावे, आरोपिया द्वारा मागें जाने पर निकाल दे, रिश्वत राशि देने के पश्चात् अपने सिर पर हाथ फेर मन् पुलिस निरीक्षक को ईशारा करे। श्री अब्दुल सत्तार कानि. को मय फिनोफ्थलीन पावडर की शीशी व दृष्टांत की कार्यवाही में प्रयुक्त किये गये गिलास को देकर मौके से कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा रवाना किया गया। फर्द पेशकशी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थलीन पावडर व सोडियम कार्बोनेट धोवन प्रतिकिया पृथक से तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय करीब 05:41 पी.एम.पर परिवादी श्री आशीष सैनी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को परिवादी से चालु करवाकर परिवादी को आरोपिया द्वारा मांगी गई रिश्वत राशि 20,000/–रूपये देने आरोपिया के पास प्लेटफार्म 01 कोटा जंक्शन के लिये पैदल रवाना किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान् मय ट्रेप पार्टी के पैदल पैदल ही परिवादी के पीछे–पीछे प्लेटफार्म 01 कोटा जंक्शन के लिये रवाना हुई। समय करीब 05:46 पी.एम.पर परिवादी श्री आशीष सैनी ने प्लेटफार्म 01 कोटा जंक्शन पर खडी दिल्ली जाने वाली बान्द्रा–हरिद्वार के एसी कोच में बैठी आरोपिया श्रीमती रेखा सिंह सहायक उप निरीक्षक को रिश्वत राशि देने के पश्चात् पूर्व निर्धारित अपने सिर पर हाथ फेर कर मन् पुलिस निरीक्षक को ईशारा किया, तब तक उक्त ट्रेन रवाना हो चुकी थी । मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान् श्री कैलाश सुमन एवं श्री निरंजन सुमन मय एसीबी जाप्ता श्री बृजराज सिंह कानि.159 एवं श्री योगेन्द्र सिंह कानि0 282 के चलती हुई ट्रेन में चढ गये, किन्तु परिवादी प्लेटफार्म पर ही रह गया। इस पर कोटा स्टेशन पर मोजुद श्री तारांचद पुलिस निरीक्षक को जर्ये मोबाइल सुचित कर बताया कि परिवादी एंव शेष ट्रेप टीम को साथ लेकर कोटा से दिल्ली जाने वाले रेलवे ट्रेक के समानांतर सड़क मार्ग से अतिशीघ्र गुढला जक्शन की तरफ पहुचे। मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराही गवाहान मय ट्रेप पार्टी सदस्य के ट्रेन के एसी कोच बी 1 पर पहुची तथा परिवादी द्वारा बताये हुलिया के अनुसार बी 1 कोच में खाली सीट पर बेठी उक्त हुलिया की एक महीला दिखाई दी जिससे नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम रेखा सिंह पत्नी श्री परवेश कुमार जाति जाट उम्र 48 साल निवासी म.न. 255 मलयाना मेरठ थाना ट्रांसपोर्ट नगर मेरठ उत्तर प्रदेश हाल सहायक उप निरीक्षक थाना मानसरोवर पार्क जिला शाहदरा दिल्ली होना बताया। उक्त महिला को मन पुलिस निरीक्षक ने अपना व हमराही गवाहान व

जाप्ते का परिचय देते हुए अपने आने का औचित्य बताया तथा उक्त महिला को डिटेन कर ट्रेन गुडला जंक्शन पर ट्रेन रूकने पर आरोपिया रेखा सिंह से उसके सामान के बारे में पूछा तो उसने अपने पास ही रखे एक हेण्ड बैग ब्राउन कलर एवं एक बैग महरून कलर तथा एक बैग क्रीम कलर का अपना एवं उक्त बेगें में स्वयं के इस्तमाली कपडें केस फाईल व अन्य जरूरी सामन होना बताया, उक्त महिला को मय उसके बताये दोनों बैग व हेण्ड पर्स सहित ट्रेन से नीचे उतारा गया। समय करीब 06:06 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान स्वतंत्र गवाहान मय एसीबी जाप्ता तथा डिटेनशुदा आरोपिया श्रीमती रेखा सिंह को मय दो बैग एवं एक हेण्ड बैग सहित प्लेटफार्म पर स्थित कार्यालय स्टेशन अधीक्षक गुडला जक्शन पर पंहुची,मुकीम हुई। समय करीब 06:25 पी.एम. पर श्री ताराचन्द पुलिस निरीक्षक मय एसीबी जाप्ता श्रीमती अनिता वर्मा पुलिस निरीक्षक, श्री देवेन्द्र सिहं कानि.304, श्री बबलेश कुमार कानि.261 मय परिवादी श्री आशीष सैनी मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर मय दो प्राईवेट वाहनो से गुडला जंक्शन पर उपस्थित आये एंव परिवादी ने डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड मन् पुलिस निरीक्षक को बंद अवस्था में सुपुर्द किया। परिवादी ने कार्यालय स्टेशन अधीक्षक गुडला जंक्शन में कुर्सी पर बैठी महिला श्रीमती रेखा सिंह की तरफ ईशारा कर बताया कि ये ही रेखा सिंह सहायक उप निरीक्षक है जिन्होने अभी थोडी देर पहले मुझसे कोटा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के एसी कोच के अंदर 20000/– रूपये रिश्वत राशि ग्रहण की थी। मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वतंत्र गवाहान के सामने रेखा सिंह से पूछा कि आपने परिवादी आशीष सैनी से किस बात के पैसे लिये थे तो उसने घबराते हुए बताया कि मेरा हेण्ड बेग आज सुबह कोटा स्टेशन पर चोरी हो जाने से मैंने आशीष से उधार पैसे लिये है। जिस पर परिवादी आशीष सैनी ने श्रीमती रेखा सिंह सहायक उप निरीक्षक की बात का खण्डन कर बताया कि यह मेडम झुठ बोल रही है, मेरी पत्नी सविता शर्मा ने मेरे व मेरे परिवार जन के विरूद्व थाना मानसरोवर पार्क शाहदरा दिल्ली में मुकदमा संख्या 458/2022 दर्ज करवाया था। जिसकी तफ्तीश श्रीमती रेखा सिंह सहायक उप निरीक्षक कर रही है। इनके बुलाने पर मैं व मेरे मामा का लड़का अभिषेक दिल्ली गये थे। जहा पर श्रीमती रेखा सिंह ने मुझसे उक्त मुकदमे में मेरे परिजनो का नाम हटाने एंव केस कमजोर करने की ऐवज में 50000/– रूपये रिश्वत की मांग की थी तथा मुझ पर दबाव बनाकर मुझसे 14000 रूपये ले लिये थे एवं बकाया 36000 रूपये तफ्तीश में कोटा आने पर लेने की बात कही थी तथा आज कोटा रेलवे स्टेशन पर रेखा सिंह मेडम ने मुझसे रिश्वत राशि 20000 रूपये की मांग की थी एंव अभी कुछ समय पहले दिल्ली जाने वाली बांद्रा हरिद्वार ट्रेन के एसी कोच में ट्रेन के चलते समय ही इन्होने मुझसे 20000/–रूपये रिश्वत राशि ग्रहण की थी, वक्त रिश्वत मांग एंव वक्त रिश्वत लेनदेन की वार्ताए आपके द्वारा दिये गये डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड हो गई है। इस पर डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को लेपटॉप में लगाकर सुना गया तो परिवादी के कथनो की पुष्टि हुई। पुनः पूछने पर श्रीमती रेखा सिंह सहायक उप निरीक्षक ने मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैं मुकदमा नम्बर 458/22 के अनुसंधान कार्य से मय श्री रामावतार हेड कानि0 1910 के कोटा आई थी। जिसकी आमद मैंने आर.के. पुरम थाना कोटा शहर में दर्ज करवाई थी। तत्पश्चात मैं उक्त मुकदमे के आरोपी आशीष सैनी के घर पर गई थी एंव 5–6 घण्टे वही रूकी थी एंव रामावतार हैड कानि0 दिन में ही आवश्यक कार्य से कोटा से चला गया था। मैंने मेरा व रामावतार हैड कानि0 का पुलिस वारण्ट से दिल्ली से कोटा आने व कोटा से वापस दिल्ली जाने का ट्रेन का टिकिट करवाया था किंतु गलती से हमारा कोटा से दिल्ली वापसी का टिकिट दिनांक 25.05.23 का समय 2.15 पीएम के स्थान पर 2.15 एएम का गलत टिकिट बन गया था। मेरे पास ट्रेन की टिकिट नहीं थी इसलिए मैं बिना टिकिट बांद्रा हरिद्वारा ट्रेन में बेठ गई तथा टीटी से बात करके मेरा टिकिट बनवाती। उक्त मुकदमे की पत्रावली व पुलिस वारण्ट व टिकिट इत्यादि मेरे बेग मे ही रखे हुए है। तत्पश्चात आरोपिया श्रीमती रेखा सिंह से रिश्वत राशि 20000/– रूपये के बारे में पूछने पर उसने अपनी अन्तःवस्त्र (ब्रा) के अंदर रिश्वत राशि रखी होना बताया। महिला गरिमा को ध्यान में रखते हुये मन पुलिस निरीक्षक द्वारा श्रीमती अनिता वर्मा पुलिस निरीक्षक के समक्ष आरोपिया श्रीमती रेखा सिंह सहायक उप निरीक्षक के अन्तःवस्त्र (ब्रा) के अंदर से रिश्वत राशि निकालकर स्वतंत्र गवाह श्री निरंजन सुमन को दिये। गवाह श्री निरंजन सुमन व श्री कैलाश सुमन से उक्त रिश्वत राशि के नोटों को पूर्व में फर्द पेशकशी में अंकित नोटों के नम्बरों से मिलान करवाये जाने पर हूबहू मिलान होने पर गवाहान से गिनवाया जाकर रिश्वत राशि भारतीय मुद्रा के 500–500 रूपये के 40 नोट कुल 20000/– रूपयो को स्वतंत्र गवाह श्री निरंजन सुमन के पास सुरक्षित रखवाया गया। इसके बाद एक प्लास्टिक की बोतल में साफ पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स से दो कांच के गिलास निकलवाकर उसमें थोडा पानी एवं थोडा सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर घोल का रंग यथावत रहने पर उस घोल में श्रीमती रेखा सिंह सहायक उप निरीक्षक के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो

गया जिसे गवाहों को दिखाकर धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा कर कपडे व चिट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क आर.एच–1 व आर. एच–2 अंकित कर जप्त किया गया। इसके बाद कांच के दूसरे गिलास को धुलवाकर पानी एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाकर घोल में श्रीमती रेखा सिंह के बांये हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे उपस्थित गवाहों को दिखाकर कांच की दो साफ शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा कर चिट व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशियों पर मार्क–एल.एच–1 व एल.एच–2 अंकित कर जप्त किया गया। इसके बाद मन पुलिस निरीक्षक एवं श्रीमती अनिता वर्मा पुनि के द्वारा स्टेशन अधीक्षक गुडला जंक्शन के कार्यालय के कमरे से समस्त ट्रेप पार्टी के पुरूष सदस्यों को बाहर निकाला जाकर आरोपिया श्रीमती रेखा सिंह द्वारा पहनी हुई अन्तवस्त्र (ब्रा) उतरवाई जाकर स्वंय के कब्जे में ली एंव आरोपिया के बेग मे रखी हुई दुसरी अन्तवस्त्र (ब्रा) पहनायी गई। तत्पश्चात ट्रेप पार्टी व स्वतंत्र गवाहान को वापस कमरे में बुलाया गया। इसके बाद कांच के गिलास को साफ करवाकर पूर्वानुसार पानी एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाकर घोल में आरोपिया के अन्तःवस्त्र (ब्रा) के उस स्थान जहां आरोपिया द्वारा रिश्वत राशि 20,000/– रूपये छिपाई गई थी, को गिलास के उक्त घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। जिसे गवाहों को दिखाकर धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा कर चिट व अन्तवस्त्र (ब्रा) पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क–बी 1 एवं बी 2 अंकित कर जप्त किया गया। अन्तःवस्त्र (ब्रा) को सुखवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर अन्तःवस्त्र (ब्रा) को एक सफेद कपडे की थैली में रखवाकर शील मोहर कर मार्क बी दिया गया जिस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत जब्त कर कब्जा ब्युरो लिया गया। गवाह श्री निरंजन सुमन के पास आरोपिया के कब्जे से बरामदशुदा पूर्व में सुरक्षित रखवायी गई रिश्वत राशि 20,000/–रूपये का विवरण निम्न प्रकार हैः–

1–	एक नोट पांच सौ रूपये का	7MA 558046
2–	एक नोट पांच सौ रूपये का	5ES 493848
3–	एक नोट पांच सौ रूपये का	0NF 227207
4–	एक नोट पांच सौ रूपये का	9FF 043129
5–	एक नोट पांच सौ रूपये का	2KC 358686
6–	एक नोट पांच सौ रूपये का	0FC 918292
7–	एक नोट पांच सौ रूपये का	2UR 926105
8–	एक नोट पांच सौ रूपये का	5GA 475674
9–	एक नोट पांच सौ रूपये का	7VF 156040
10–	एक नोट पांच सौ रूपये का	5KN 496950
11–	एक नोट पांच सौ रूपये का	5HS 217543
12–	एक नोट पांच सौ रूपये का	0KF 727091
13–	एक नोट पांच सौ रूपये का	0EH 871098
14–	एक नोट पांच सौ रूपये का	7SA 569314
15–	एक नोट पांच सौ रूपये का	7SA 619713
16–	एक नोट पांच सौ रूपये का	7ES 199426
17–	एक नोट पांच सौ रूपये का	7KF 927339
18–	एक नोट पांच सौ रूपये का	0LW 910586
19–	एक नोट पांच सौ रूपये का	8ET 115841
20–	एक नोट पांच सौ रूपये का	6BC 205552
21–	एक नोट पांच सौ रूपये का	5AF 040353
22–	एक नोट पांच सौ रूपये का	4FE 500731
23–	एक नोट पांच सौ रूपये का	2WN 402396
24–	एक नोट पांच सौ रूपये का	0EH 461745
25–	एक नोट पांच सौ रूपये का	3QS 216443
26–	एक नोट पांच सौ रूपये का	7MR 059593
27–	एक नोट पांच सौ रूपये का	5MS 490531
28–	एक नोट पांच सौ रूपये का	8DE 946359

29–	एक नोट पांच सौ रूपये का	0DP 619242
30–	एक नोट पांच सौ रूपये का	8NV 742593
31–	एक नोट पांच सौ रूपये का	1MR 737763
32–	एक नोट पांच सौ रूपये का	5MW 811323
33–	एक नोट पांच सौ रूपये का	4FH 573793
34–	एक नोट पांच सौ रूपये का	9TN 363628
35–	एक नोट पांच सौ रूपये का	5PL 679822
36–	एक नोट पांच सौ रूपये का	5PM 103714
37–	एक नोट पांच सौ रूपये का	0UB 496992
38–	एक नोट पांच सौ रूपये का	5QH 885994
39–	एक नोट पांच सौ रूपये का	0NF 843801
40–	एक नोट पांच सौ रूपये का	8GH 961036

उपरोक्त सभी नोटों को एक कागज के पीले रंग के लिफाफे में रखकर लिफाफे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर नोटों को बजह सबूत जब्त कर कब्जा ब्यूरो लिया गया। फर्द बरामदगी रिश्वती नोट एवं हाथ धुलाई नियमानुसार बनायी जाकर सम्बन्धितों को पढकर सुनाया गया सुन समझ सही मान कर अपने–अपने हस्ताक्षर किये गये। समय करीब 07:20 पी.एम.पर परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान श्री कैलाश सुमन एवं श्री निरंजन सुमन की मौजूदगी में मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपिया के कब्जे से रिश्वत राशि बरामदगी स्थल गुडला जंक्शन का नजरी फर्द नक्शा मौंका कशीद किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय करीब 07:30 पी.एम.पर ट्रेप की अग्रिम कार्यवाही हेतु मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय एसीबी जाप्ता श्री ताराचन्द पुलिस निरीक्षक श्रीमती अनिता वर्मा पुलिस निरीक्षक श्री देवेन्द्र सिहं कानि0 304, श्री बृजराज सिंह कानि0 159, श्री योगेन्द्र सिंह कानि0 282,श्री बवलेश कुमार कानि.261 मय डिटेनशुदा आरोपिया श्री रेखा सिंह सहायक उप निरीक्षक मय आरोपिया के दो बैग एवं एक हेण्ड बेग एवं जप्तशुदा आर्टीकल्स मार्क आर.एच.–01, आर.एच.–02, एल.एच.–01, एल.एच–02, बी–01,बी–02 व बी एवं जप्तशुदा रिश्वत राशि के लिफाफे मय लेपटॉप प्रिन्टर एवं ट्रेप बॉक्स के कार्यालय स्टेशन अधीक्षक गुडला जंक्शन से एसीबी ऑफिस के लिये रवाना हुयी। समय करीब 08:00 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय हमराह एसीबी जाप्ता मय डिटेनशुदा आरोपिया श्री रेखा सिंह सहायक उप निरीक्षक मय आरोपिया के दो बैग एवं एक हेण्ड बेग एवं जप्तशुदा आर्टीकल्स मार्क आर.एच.–01, आर.एच.–02, एल.एच.–01, एल.एच–02, बी–01,बी–02 व बी एवं जप्तशुदा रिश्वत राशि के लिफाफे मय लेपटॉप प्रिन्टर एवं ट्रेप बॉक्स के कार्यालय स्टेशन अधीक्षक गुडला जंक्शन से रवाना हो एसीबी ऑफिस कोटा पंहुची जप्तशुदा आर्टीकल्स एंव रिश्वत राशि को मालखाना प्रभारी श्री देवेन्द्र सिहं को सुपुर्द कर मालखाने मे इंद्राज करवाया जाकर मालखाने में सुरक्षित रखवाया गया। समय करीब 08:20 पी.एम.पर स्वतंत्र गवाह श्री निरंजन सुमन एवं श्री कैलाश सुमन के समक्ष दिनांक 25.05.2023 को परिवादी श्री आशीष सैनी एवं आरोपिया के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं रिश्वत लेन–देन वार्ता में आरोपिया की आवाज का परीक्षण राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर से करवाने हेतु आरोपिया श्रीमती रेखा सिंह सहायक उप निरीक्षक को नोटिस नमूना आवाज दिया गया तो आरोपिया ने अपने लिखकर दिया कि "मैं मेरी आवाज का नमूना स्वेच्छा से नहीं देना चाहती हू" । नोटिस नमूना आवाज पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय 9.00 पी.एम.पर परिवादी श्री आशीष सैनी एवं आरोपिया श्रीमती रेखा सिंह सहायक उप निरीक्षक 480 के मध्य हुई दिनांक 25.05.2023 को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन हुई वार्ता को परिवादी द्वारा कार्यालय के डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड किया गया था। उक्त रिकॉर्ड वार्ता को स्वतंत्र गवाहान् एवं परिवादी के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री योगेन्द्र सिहं कानि0 282 द्वारा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को लेपटॉप लिया जाकर स्पीकर चालुकर स्वतंत्र गवाहन एवं परिवादी को सुनाया गया । श्री योगेन्द्र सिंह कानि0. से फर्द ट्रांस क्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता नियमानुसार तैयार करवाई गई। फर्द

ट्रांस क्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। फिर समय 10.20 पी.एम.पर परिवादी श्री आशीष सैनी एवं आरोपिया श्रीमती रेखा सिंह सहायक उप निरीक्षक 480 के मध्य हुई दिनांक 25.05.2023 को वक्त रिश्वत लेन–देन हुई वार्ता को परिवादी द्वारा कार्यालय के डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड किया गया था। उक्त रिकॉर्ड वार्ता को स्वतंत्र गवाहान् एवं परिवादी के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री योगेन्द्र सिहं कानि0 282 द्वारा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को लेपटॉप लिया जाकर स्पीकर चालुकर स्वतंत्र गवाहन एवं परिवादी को सुनाया गया। श्री योगेन्द्र सिंह कानि0. से फर्द ट्रांस क्रिप्ट रिश्वत लेन–देन वार्ता नियमानुसार तैयार करवाई गई। फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत लेन–देन वार्ता पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई।इसके बाद समय 10.50 पी.एम. पर परिवादी श्री आशीष सैनी व आरोपिया श्रीमती रेखा सिंह सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना मानसरोवर पार्क शाहदरा दिल्ली के मध्य दिनांक 25.05.2023 को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन एवं वक्त रिश्वती लेनदेन हुई वार्ता, जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमारी कार्ड Sand Disk altra 32 GB में रिकॉर्ड हैं, को परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष लेपटोप में लिवाई उसें सुरक्षित सेव कर श्री योगेन्द्र सिह कानि. नं. 282 द्वारा उसकी चार पेन ड्राईव KDM SPEED PRO 16 GB में पेस्ट कर तैयार करवाये गये, जिसमें सें एक पेनड्राईव माननीय न्यायालय के लिये, एक पेनड्राईव नमूना आवाज कार्यवाही/आवाज निरंतरता जांच के लिये, एक पेनड्राईव आरोपिया के लिये, को कवर में रखकर एवं डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर में उपयोग लिये गये मैमोरी कार्ड Sand Disk altra 32 GB को कवर में कवर सहित ही अलग–अलग कपडे की थैलियों में सील चिट कर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा एक पेनड्राईव को अनुंसधान अधिकारी के लिए अनशील्ड कवर में रखवाया गया। फर्द डबिंग वार्ता एंव जब्ती पेनड्राईव तैयार कर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई।

दिनांक 26.05.2023 को समय 01.05 ए..एम.पर आरोपिया श्रीमती रेखा सिंह को की जामा तलाशी मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा ली गई जामा तलाशी में एक मंगल सूत्र पीली धातु का एक जोडी कान के टॉप्स पीली धातु के व एक जोडी बाली पीली धातु का, एक नाक की लौगं पीली धातु की, एक अंगुठी पीली धातु की एवं दो जोडी बिछीया सफेद चांदी जैसी एवं एक जोडी पाजेब चांदी जैसी धातु की, एक लेडिज हाथ घडी कस्टम कम्पनी की, एक मोबाईल रियलमी कंपनी का, तथा हेण्डबेग के अन्दर 3300 रूपये मिले जिन्हे आरोपिया ने अपने खर्चे का होना बताया, के अलावा तो आरोपिया के पास पहने हुये कपडों के अलावा कोई अन्य वस्तु दस्तियाब नहीं हुई, आरोपिया के पास से प्राप्त उक्त सामान को सुरक्षित मालखाने मे रखवाया गया। आरोपिया के महरून रंग के बेग में परिवादी श्री आशीष सैनी की पुलिस थाना मानसरोवर पार्क शाहदरा दिल्ली में दर्ज प्रकरण संख्या 458/2022 धारा 498(ए), 406, 34 आईपीसी की मूल पत्रावली प्राप्त हुई जिस वजह सबूत जर्ये फर्द जप्ती पृथक से जप्त किया गया। आरोपिया के अन्य बैग मे इस्तमाली कपडे एवं खाने पीने की चीजे है। परिवादी श्री आशीष सैनी से पुलिस थाना मानसरोवर पार्क शाहदरा दिल्ली में दर्ज प्रकरण संख्या 458/2022 धारा 498(ए), 406, 34 आईपीसी में परिवादी के माता–पिता एवं परिवार जाने का नाम केस से निकालने एवं केस कमजोर करने की एवज में परिवादी श्री आशीष सैनी से रिश्वत की मांग कर, रिश्वत राशि ग्रहण की। आरोपिया श्री रेखा सिहं सहायक उप निरीक्षक का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 की परिधी में आने से आरोपिया नाम रेखा सिंह पत्नी श्री परवेश कुमार जाति जाट उम्र 48 साल निवासी म.न. 255 मलयाना मेरठ थाना ट्रांसपोर्ट नगर मेरठ उत्तर प्रदेश हाल सहायक उप निरीक्षक थाना मानसरोवर पार्क जिला शाहदरा दिल्ली को विधिक अधिकारों से अवगत कराया जाकर स्वतंत्र गवाह श्री निरंजन सुमन एवं श्री कैलाश सुमन के समक्ष जरिये फर्द गिरफ्तारी गिरफ्तार किया गया। इसके बाद समय 01:15 ए.एम.पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपिया श्रीमती रेखा सिहं के महरून रंग के बेग में मिली परिवादी श्री आशीष सैनी की पुलिस थाना मानसरोवर पार्क शाहदरा दिल्ली में दर्ज प्रकरण संख्या 458/2022 धारा 498(ए), 406, 34 आईपीसी की प्राप्त हुई मूल पत्रावली एवं दिनांक 24.05.2023 व 25.05.2023 के आरोपिया

एवं अन्य के रेलवे आरक्षण टिकिट को वजह सबूत जर्ये फर्द जप्ती पृथक से जप्त किया गया। इसके बाद समय 04.00 पी.एम पर स्वतंत्र गवाह श्री कैलाश सुमन एवं श्री निरंजन सुमन एवं परिवादी श्री आशीष सैनी पृथक पृथक कार्यालय हाजा उपस्थित आये । इस पर समय करीब 6.30 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के घटनास्थल प्लेटफार्म नम्बर 01 कोटा जंक्शन का नजीरी नक्शा मौका मुर्तिब करने रेलवे स्टेशन कोटा जंक्शन रवाना हुई, समय करीब 7.00 पी.एम पर परिवादी की निशादेही पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष घटनास्थल का नजीरी नक्शा मुर्तिब कर संबधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया।

उपरोक्त सम्पर्ण कार्यवाही से परिवादी श्री आशीष सैनी के विरूद्व पुलिस थाना मानसरोवर पार्क शाहदरा दिल्ली में दर्ज प्रकरण संख्या 458/2022 धारा 498(ए), 406, 34 आईपीसी में परिवादी के माता–पिता एवं परिवार जाने का नाम केस से निकालने एवं केस कमजोर करने की एवज में परिवादी श्री आशीष सैनी से दिनांक 25.05.2023 को रिश्वत की मांग करना, दिनांक 25.05.2023 को ही परिवादी से रिश्वत राशि ग्रहण करना, आरोपिया श्री रेखा सिहं सहायक उप निरीक्षक का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 की परिधी में आने से आरोपिया नाम रेखा सिंह पत्नी श्री परवेश कुमार जाति जाट उम्र 48 साल निवासी म.न. 255 मलयाना मेरठ थाना ट्रांसपोर्ट नगर मेरठ उत्तर प्रदेश हाल सहायक उप निरीक्षक थाना मानसरोवर पार्क जिला शाहदरा दिल्ली के विरूद्व धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 में प्रकरण दर्ज करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कमांकन हेतु सादर प्रेषित है।

(चन्द्रकंवर)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (इन्टे.) कोटा

<u>कार्यवाही पुलिस</u>

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती चन्द्रकंवर, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टें कोटा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपिया श्रीमती रेखा सिंह, सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना मानसरोवर पार्क, जिला शाहदरा दिल्ली के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 130/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

27.5.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 984-87 दिनांक 27.05.2023

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. डिप्टी कमिश्नर पुलिस, शाहदरा, दिल्ली।
3. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टें कोटा।

27.5.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।